Indian J. Soc. & Pol. 05(I):2018:85-88 Special Issue **ISSN : 2348-0084(PRINT)**
UGC List No. 47956 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

झारखण्ड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

रूबी कुमारी[1a]
[a]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड), भारत

ABSTRACT

महिलाओं के विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या राजनीतिक उनका सशक्तिकरण आवश्यक है। महिलाओं की स्थिति तभी सुदृढ़ होगी उनकी राजनीति में सहभागिता उच्च स्तर पर होगी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिला सशक्तिकरण का नया रूप दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रदान कर उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड भारत का 28वाँ राज्य बना। राज्य निर्माण से वर्तमान तक में बहुत सी महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में उभर कर हमारे समक्ष आई। चाहे वह झारखण्ड आंदोलन के समय की बात करे या वर्तमान के संसदीय चुनाव का इतिहास में। झारखण्ड पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मामले में अग्रणी राज्य बन गया है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएँ जितनी आत्मनिर्भर, साहसी, स्वाभिमानी होगी उतना राजनीतिक दायरों में अपना दावा पुख्ता करेंगी। अशिक्षा, गरीबी, संकोच, असुरक्षा की भावना, राजनीति में उनकी सहभागिता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इन बाधाओं को दूर करने के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महिला के लिए सम्मान की भावना को रखना आवश्यक है। वर्तमान समय में महिलाएँ जितना राजनीति में भाग लेगीं, उतना उनका विकास होगा महिलाएँ अन्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर महिलाओं से संबंधित कानून पारित करवाकर प्रत्येक महिला के जीवन मे सुधार और विकास करेगी। झारखण्ड राज्य में कई महिला राजनीति के क्षेत्र में उभर कर आई जिनमें विमला प्रधान, सुमति उराँव, ललिता राजलक्ष्मी, मेनका सरदार, नीरा यादव, निर्मला देवी, रीता वर्मा, पुष्पा सुरीन, गीताश्री उराँव, महुआ माँजी, अन्नपूर्णा देवी आदि का नाम उल्लेखनीय है।

KEYWORDS – *राजनीतिक, सशक्तिकरण, अशिक्षा, सहभागिता, आत्मनिर्भरता*

भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहाँ जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन पद्धति पर जोर दिया जाता है। भारतीय संविधान में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिला सशक्तिकरण को नया रूप दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सम में 56% पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि है। संविधान की धारा 243 डी० में महिलाओं को आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है।

महिलाएँ हमारे देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है परन्तु आजादी के इतने वर्षों के बाद भी राजनीति मे महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के अपेक्षाकृत कम है। इसका विश्लेषण अगर हम शुरूआत के चुनाव से लेकर वर्तमान तक करें तो 1952 में 22 सीट महिलाओं के लिए थी जो 2014 में 61 तक हो गई। यह 36% की वृद्धि है (http://www.bbc.com/hindi/india/2014/05/140528_women_participation_india_election_rd)

भारत की राजनीति में वर्तमान समय के दौर में महिलाएँ हमारे भारत देश की राजनीति में ऐसी धनी प्रतिभा की आई जिन्होंने अपने कार्यों से राजनीति में कई तरह से विकास के कार्यों को किया। जिनमें कुछ उल्लेखनीय नाम सोनिया गाँधी, शीला दीक्षित, प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, मायावती, महबूबा मुफ्ती, वृंदा करात, वसुंधरा राजे, उमा भारती, जयललिता, ममता बनर्जी आदि हैं।

भारत के संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर है जिसे हम लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का चुनाव में भागीदारी का एक आँकड़ें द्वारा देख सकते हैं–

महिला सांसदों की संख्या एवं प्रतिशत

क्र०सं०	वर्ष	महिला सांसदो की संख्या	महिला सांसदों की प्रतिशत
1.	1951	22	4.50%
2.	1957	22	4.45%
3.	1962	31	6.28%
4.	1967	29	5.58%
5.	1971	28	5.41%
6.	1977	19	3.51%
7.	1980	28	5.29%
8.	1984	43	7.95%
9.	1989	29	5.48%
10.	1991	39	7.30%
11.	1996	40	7.37%
12.	1998	43	7.92%
13.	1999	49	9.02%
14.	2004	45	8.29%
15.	2009	59	10.87%
16.	2014	66	12.15%

1: Corresponding Author

देश में कुल 4896 सांसदों और विधायकों में 418 महिला प्रतिनिधि है जो केवल 9 है। भारत निर्वाचन आँकड़ों के अनुसार 15वीं लोकसभा में 61 महिला सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्यों में 28 महिलाएँ हैं जो क्रमशः लोकसभा में 14 फीसदी और राज्यसभा में 11.4 फीसदी का आँकड़ा है। (http://factly.in/women.MPS-in-Lok-sabh how-have-the-numbers-changed/)

15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड भारत का 28वाँ राज्य बना। वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत 24 जिले है। साक्षरता दर 75. 60 है। 2001 में झारखण्ड का पहला मंत्रिमंडल बना। झारखण्ड राज्य में आदिवासी समाज की प्रधानता मानी जाती है। झारखण्ड में 70 फीसदी महिलाएँ गाँवों में निवास करती है। महिलाओं के अभाव में उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। आदिवासी समाज की महिलाएँ शिक्षा और साधन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। महिलाओं का विकास न होने का एक प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक समाज की प्रधानता है। यह स्त्रियों को कठपुतली समान मान कर उन्हें अपने आदेशों का पालन करने के लिए दबाव डालता है। हिंसा, शोषण, साक्षरता दर का कम होना स्त्रियों के राजनीतिक अवसरों पर अपना प्रभाव डालता है।

झारखण्ड में लोकसभा की 14 और विधानसभा की 81 सीटें हैं इनमें लोकसभा की चाईबासा, राजमहल, लोहरदगा, दुमका, खुंटी आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। (http://www.bbc.com/hindi/india/2014/04/140415_tribal_woman_electionspl2014_rd)

झारखण्ड आंदोलन की अगर हम बात करें तो कई महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और कई बड़े कार्यों को अंजाम दिया। महिलाएँ आंदोलन के दौरान चाहे वह थाना का घेराव हो या गुंडों को हमला या पुलिस जुल्म का विरोध झारखण्ड की महिलाओं ने अपनी कला, कौशल, बल–बुद्धि का परिचय हर बार दिया। जब भी झारखण्ड आंदोलन के दौरान कई रैली, धरना, बड़ी सभाएँ हुई जिनमें महिलाओं ने अपना घरेलू कामकाज करते हुए आंदोलन में भाग लिया। जब अलग राज्य निर्माण झारखण्ड के लिए आंदोलन चल रहा था ऐसे समय में उर्मिला देवी जो हजारीबाग की निवासी थी उन्होंने बड़ी सराहनीय भूमिका निभाई। उर्मिला देवी केन्द्रीय कमिटी की और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, हजारीबाग जिला कमिटी की सदस्य कई वर्षों तक रही। उन्होंने कम समय में राजनीति में अपनी पहचान बना ली। हजारीबाग में झारखण्ड राज्य की माँग को लेकर जब भी आंदोलन हुए तब–तब उसमें उर्मिला देवी ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इसक अलावा भिलानी टोप्पो, तेम्मा टोप्पो साहिल डाग, अजरमनी लुगून, जोबा मांझी, रोबेन सोरेन, गुनी उराँव, मिनी सोय, ज्योत्सना, लाडो जोंको, सुकूर हेब्रम, मिरू मार्डी, कार्दिन कार्डी जैसी महिलाओं ने झारखण्ड आंदोलन के दौरान काफी सराहनीय कार्य किए।(सिन्हा,2013पृ0283–287)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के तहत अनु० 243(d) और 243(T) जोड़े गए जिसमें क्रमशः पंचायती राज एवं नारियों के प्रत्येक स्तर पर सीटों की कम से कम एक तिहाई महिलाओं के आरक्षित है। झारखण्ड में कुल 56% महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में है। आरक्षण की वजह से झारखण्ड में 2360 मुखिया, 2444 पंचायत समिति सदस्य, 246 जिला परिषद् एवं 25698 वार्ड सदस्य के पद पर महिलाओं ने जीत हासिल की।(अनुराग,2013पृ0181)

पंचायतों में स्त्रियाँ, प्रतिनिधि ने मुखिया ही है परंतु महिला जनप्रतिनिधिओं की जगह उनके पति उन पर हावी है। महिला जनप्रतिनिधि केवल नाममात्र के लिए केवल हस्ताक्षर प्रतिनिधि ही बन कर रह गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कई अधिकार दिए गए है लेकिन जानकारी के अभाव में वे सही ढंग से कार्य करने में असफल हो जाती है। अगर जानकारी हो भी तो पुरुषों द्वारा उनकी शक्ति का हनन कर लिया जाता है। इसलिए महिलाएँ जितना आत्मनिर्भर होगी उतना अच्छा प्रदर्शन करेगा।

झारखण्ड में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी अधिक होने के कारण स्थानीय स्तर पर उनके जीवन में बदलाव आया है। महिला प्रतिनिधियों की सत्ता ने न केवल जातीय रूप बल्कि आर्थिक और सामाजिक समीकरण को भी बदल दिया है। पंचायतों द्वारा महिला शिक्षा, महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी, उनको आर्थिक रूप से मजबूत तथा स्वावलंबी बनाने में जोर, राजनीति में महिलाओं को स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें ग्राम विकास में जोड़ने का प्रयास किया गया है। यदि इस कार्य में और जागरूकता लाया जाय तो मजदूरी रोजगार हो या स्वरोजगार। महिलाओं को विशेष महत्व देने के कारण गाँवों का विकास किया जा सकता है।

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने वाले प्रावधान से कई प्रकार के बदलाव उनमें देखे गए हैं। महिलाओं के विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से उनमें बदलाव और सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। पुरुषों के साथ महिलाएँ जो बात–चीत करने में संकोच करती थी या साथ कार्य करने से डरती थी वह अब कम हो रहा है। पंचायत स्तर के उच्च अधिकारियों से वे अब आसानी से संपर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख पाती है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अब राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर आरक्षण के द्वारा ही प्रदान किया गया है।

झारखण्ड के संसदीय चुनावों के इतिहास में आदिवासी महिलाएँ ही सांसद बनी है। झारखण्ड अलग राज्य जब गठित हुआ तब मेनका सरदार ने पूर्व सिंहभूम में सक्रिय राजनीति के द्वारा झारखण्ड विधानसभा में अपनी जगह बनायी। दो आदिवासी महिला जिसमें लोहरदगा से कांग्रेस सुमति उरांव और खूँटी से सुशीला केरकेट्टा ही सांसद बनी। सुमन महतो जो 2007 में अपने पति के मृत्यु के बाद लोकसभा उप चुनाव में विजयी हुई। आदिवासी नेता कार्तिक उराँव की पत्नी सुमति उराँव 1984 और 1989 में चुनाव जीती और उन्हें दो बार केन्द्र सरकार का मंत्री बनाया गया। रामगढ़ राजधराने की ललिता राजलक्ष्मी हजारीबाग के अलवा धनबाद और औरंगाबाद से भी चुनाव जीती थी। इसी राजपरिवार से विजयाराजे

तीन बार चुनाव जीती थी। धनबाद में 4 बार रीता वर्मा चुनाव जीती। इन सब बातों से यह तो पता चलता है कि झारखण्ड में महिलाएँ सक्रिय है चाहे वह राजनीति परिवार का हिस्सा हो या आदिवासी समाज की महिलाएँ। गिनी चुनी महिलाएँ ही राजनीति के क्षेत्र में हमारे समाने उभर कर आई। परन्तु पहली बार 14 वर्षों के बाद वर्तमान समय में नौ महिला विधायक चुनकर हमारे समक्ष आई जिनमें सीता सोरेन, डॉ० नीरा यादव, निर्मला देवी, मेनका सरदार, गीता कोड़ा, जोबा मांझी, गंगोत्री कुजूर, विमला प्रधान आदि है।

देश हो या राज्य जब तक महिलाएँ विकास कार्यों में भाग नहीं लेंगे महात्मा गाँधी, देशबन्धु चितरंजन दास की स्वराज की कल्पना पूरी नहीं होगी। यथार्थ की बात करें तो सच में वर्तमान समय की यही मांग है कि महिलाएँ अधिक से अधिक राजनीति में भाग लें और महिलाओं के विकास के लिए कानून पारित करवाकर उनके विकास में सहयोग प्रदान करें।

झारखण्ड की महिलाएँ जो राजनीति में वर्तमान समय में रूचि लेती दिखाई पड़ रही है आज के समय शिक्षित परिवार की महिला हो या एक गरीब परिवार की महिला राजनीतिक के महत्व को समझने लगी है ओर चुनाव में प्रतिनिधि बनकर या मतदाता बनकर चुनाव का हिस्सा बन अपनी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। कुछ महिला विधायक है जो अपने कार्यों के द्वारा पूरे झारखण्ड राज्य में महिलाओं के विकास कार्य को करते नजर आ रही है। जिसमें डॉ० नीरा यादव जो कोडरमा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है जिन्होंने अभी झारखण्ड राज्य सरकार में स्कूली एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास की मंत्री है। डॉ० नीरा यादव ने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। निर्मला देवी जो झारखण्ड राज्य के हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस की विधायक है इन्होंने भी अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। इन सबके अलावा महुआ मांझी जो महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी है एक लेखिका हैं इन्होंने अपने पुस्तकों के माध्यम से भी महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के साथ–साथ उनके विकास के उपायों पर नजर डाली है। गीता कोड़ा अपने पति मधु कोड़ा की विरासत को संभालते हुए चुनाव लड़ चुकी है। अन्नपूर्णा देवी सामाजिक कार्यकत्ता है। पुष्पा सुरीन,गीताश्री उराँव कॉलेज में प्रोफेसर है इन सभी में सबसे छोटी घाटशिला की उम्मीदवार सिड्रेला है जो 26 की उम्र में चुनाव लड़ रही है। इन सभी के कार्यक्षेत्र से पता चल रहा है कि क्षेत्र भले ही अलग हो परन्तु राजनीति में भागीदार बनें। ये समाज और महिलाओं के विकास का कार्य कर रही है।

महिला दया, करुणा, दूरदर्शी, स्वाभिमानी होने के साथ–साथ सफल नेतृत्व भी कर सकती है। वर्तमान समय में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फैशन हो, समाज सुधार हो या खेल जगत में सभी में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। परंतु राजनीति वह क्षेत्र है जहाँ महिलाओं की योग्यता से पूर्ण करने की जरूरत है महिलाओं की भागीदारी समाज में तभी पूरी होगी जब पूरी तरह से उन्हें आजादी मिलेगी। जब तक महिलाओं का सहयोग पुरुष नहीं करेंगे तब तक समाज के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकेगा। इसलिए महिलाओं को भी अपने विकास को सबके समक्ष रखने की आजादी होनी चाहिए। हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, वंश, वर्ग, पहनावा, शिक्षा और भारी गरीबी की दीवारों से वही उत्तर महिलाएँ अगर राजनीति में भाग लेती भी है तो न उन्हें अपने मन के अनुसार वोट देने का अधिकार है न वोट मांगने का। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ न तो सामाजिक कार्यों में अपनी इच्छा से भाग ले सकती है न ही अपना प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुन सकती है। पुरुष ही उनके पीछे खड़ा रहता है और वो जैसा करता है महिलाएँ वैसा करती है। अब इन सारी बाधाओं को हमें दूर करना होगा। तभी एक महिला राजनीति में अगर भागीदारी ले तो सही मायने में देश और राज्य का विकास कर सकती है वरना राजनीति में आकर भी उनके द्वारा कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा और महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

अगर नकारात्मक पक्ष की ओर देखें तो आज भी राजनीति में इनकी भागीदारी संतोषजनक नहीं है। लैंगिक भेदभाव महिलाओं को राजनीति में समान अधिकार नहीं देता है। जिसके कारण राजनीति में उनकी भागीदारी कम है। महिलाओं के साथ परिवार हो या कार्य क्षेत्र, उनका मानसिक, शारीरिक शोषण होता है। मनोवैज्ञानिक तत्व, जनसंचार साधन, आर्थिक कमी, असुरक्षा की भावना, महिलाओं को राजनीति में भागीदार बनने में बाधा उत्पन्न करता है।

राजनीतिक दलों की दूषित प्रवृति भी महिलाओं का भागीदारी में बाधा है। हमारे पार्टी कार्यकर्त्ता का नजरिया महिलाओं के प्रति साफ झलकता है। राजनीति में बहुत सी महिलाओं के साथ पुरुष कार्यकर्त्ताओं के द्वारा यौन शोषण होते रहता है।

उपयुक्त बाधाओं को दूर कर तो उनकी राजनीति में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा माना गया है कि समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाएँ ही अच्छी तरह समझ सकती है और उनका समाधान उनके द्वारा ही अच्छे तरह से हो सकता है।

आज भी संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। हमें ऐसी महिला नेताओं को राजनीति के क्षेत्र में आने का इंतजार है जो मजबूत खुले विचारों वाली हो जो गहराई तक अपनी जड़े जमाये और नीचे स्तर से महिलाओं को मुख्यधारा में सम्मिलित कर राजनीति में भागीदार बनाए।

महिलाओं की भागीदारी तभी अच्छी होगी जब स्त्री पुरुष के बीच समानता का स्तर हो। महिलाओं के स्वयं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो। महिलाओं के राजनीतिक विकास न हो पाने के मार्ग में बहुत सी बाधाएँ है। जिनमें सामाजिक संरचना उनके पक्ष में न होना एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान समय में भी पुरुषों का बोलवाला है वो महिलाओं को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखते है। अशिक्षा के कारण भी महिलाएँ विकास के मार्ग में पीछे हो जाती है। झारखण्ड जैसे छोटे राज्य में आज भी गाँवों में लड़कियों के पढ़ने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। कम उम्र में विवाह कर दी जाती है। अशिक्षा रूपी बुराई के कारण महिलाएँ अपना भला–बुरा नहीं सोच पाती। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष जो कहते हैं करते हैं– उसे ही सही समझ लेती है। संकोच भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा है। संकोच के कारण वे किसी भी कार्य को करने या किसी कार्य में भाग लेने

से कतराती है। गरीब परिवार की महिलाएँ भी राजनीति में अपने फायदे के लिए जुड़ती है न कि सही गलत की पहचान कर। अतः उपर्युक्त बातों से कह सकते हैं कि महिलाओं के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ानी होगी ताकि एक अच्छे व्यवस्था कायम हो सके।

संदर्भ

सिन्हा, अनुज कुमार (2013) : *'शोषण, संघर्ष और शहादत'*, प्रभात प्रकाशन, पृ० 383–387

हरिवंश (2012) : *'समय और सवाल',* प्रभात प्रकाशन

http://factly.in/women.MPS-in-Lok-sabh how-have-the-numbers-changed/

http://www.bbc.com/hindi/india/2014/04/140415_tribal_woman_electionspl2014_rd

http://www.bbc.com/hindi/india/2014/05/140528_women_participation_india_election_rd

http://zeenews.india.com/hindi/news/india/only-418-women-in-4896-mps-and-mlas/204100

रघुवंशी, कमलेश (2013) : *'और कितना वक्त चाहिए झारखण्ड को'*, प्रभात प्रकाशन

शर्मा, डॉ० इन्दु एवं अग्रवाल, शिवाली (2011) : *'महिला सशक्तिकरण के नये आयाम',* राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली

सूरी, अरूण (2016) : *संसदीय प्रणाली',* प्रभात प्रकाशन

अनुराग, फैसल/धनश्याम/मिंज,सुनील (2013) : *'झारखण्ड में सुशासन',* प्रभात प्रकाशन, पृ० 181